न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर राज0

बईजलास पीठासीन अधिकारी बनवारी लाल सिनसिनवार (आर0ए0एस)

उपखण्ड अधिकारी चाकसू।

वाद पत्र संख्या 152/2016 निर्णय दिनांक 15.1.17

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता

1. हरिनारायण पुत्र रामचन्द्र
2. प्रभुलाल पुत्र रामचन्द्र
3. लालचंद पुत्र रामचन्द्र
   समस्त जाति मीणा निवासी नांगलपूरण तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——वादी——

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. सांवतराम पुत्र मानाराम मीणा निवासी नांगलपूरण तहसील चाकसू।

——प्रतिवादी——

वाद बाबत घोषणा एवं नक्शा दुरस्ती

वादीनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि

1. वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 0.70 खसरा नम्बर 332 रकबा 0.20 खसरा नम्बर 356 रकबा 1.04 खसरा नम्बर 362 रकबा 0.58 खसरा नम्बर 370 रकबा 2.14, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.23 खसरा नम्बर 497 रकबा 0.10 खसरा नम्बर 498 रकबा 0.09 खसरा नम्बर 529 रकबा 0.19 खसरा नम्बर 529/846 रकबा 0.06 खसरा नम्बर 680 रकबा 0.19 खसरा नम्बर 719 रकबा 0.28 खसरा नम्बर 752 रकबा 0.06 खसरा नम्बर 754 रकबा 0.20 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 6.06 एवं खसरा नम्बर 750

रकबा 0.04 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 है0 जो वाके ग्राम नांगलपूरण पटवार हल्का बल्लूपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि ही उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि है।

2. यह कि वादीगण व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि पास – पास की सीमाओं में स्थित है जिस कारण मौके पर आये दिन सीमाओं के विवाद को लेकर विवाद होता है। नक्शा ट्रेस में गडबडी होने के कारण आये दिन मौके पर विवाद होता है। जबकि वादीगण अपनी पुरानी जगह पर ही पुराने नक्शे के अनुसार ही काबिज है। नक्शे में वर्णित डोटेड लाईन जो कि पूर्व में घुमावदार थी को बिल्कुल सीधा कर दिया है जिससे वादीगण के रकबे को नक्शे में छोटा कर दिया है तथा गै0मु0 चाह कुए के रकब को भी नक्शे में आडा–टैडा कर नक्शे मे घटा दिया है जिससेम वादीगण का नक्शा छोटा हो गया है और वादीगण का रकबा भी नक्शे के अनुसार के अनुसार कम बैठता है।
3. वादग्रस्त आराजी का रकबा राजस्व रिकार्ड में अंकित है उसी अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। जो नक्शा एकीकरण के समय बनाया गया वह नक्शा मौके पर छोटा बना बदया। जिससे वादीगण का रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुसार नही बैठता है। जबकि वादीगण राजस्व रिकार्ड में अनुसार मौके पर पूरे रकबे पर काबिज है। राजस्व कर्मचारियों ने एकीकरण के समय नक्शा छोटा कर दिया। जबकि राजस्व रिकार्ड में रकबे मे कोई फेरबदल नही हुआ और राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही वादीगण पूरी जमीन पर काबिज है। जो नक्शा राजस्व कर्मचारियों ने एकीकरण के समय बनाया था। वह नक्शा मौके पर रकबे के अनुसार नही बैठता। नक्शे में वादीगण की जमीन कम बैठती है। जिससे वादीगण को काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है। मौके पर नक्शा राजस्व कर्मचारियों ने छोटा कर दिया जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है।
4. वादीगण की खातेदारी भूमि जिसको वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित किया गया है का रकबा जमाबन्दी में सही है परन्तु नक्शा ट्रेस में रकबा कम बैठ रहा है वादीगण पुराने साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान में काबिज है।

5. दिनांक 20.05.2016 को वादीगण पटवारी के पास गये तो उन्होंने बताया कि नक्शा दुरस्त केवल न्यायालय ही कर सकता है न्यायालय से आदेश लाओ जिस कारण वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।
6. प्रतिवादी संख्या 2 भू–धारक है जिन्हें प्रकरण में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है।

वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद इस कदर डिक्री फरमाया जावे कि :–

क) वादग्रस्त आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित किया गया है जो वाके ग्राम नांगलपूरण तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है का नक्शा एकीकरण के समय छोटा कर दिया जिसकी रकबा बरारी की जाकर जमाबन्दी में वर्णित रकबे के अनुसार नक्शा दुरस्त किये जाने की घोषणा की जाकर वादीगण को उक्त नक्शे के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया कि:–

बिंदु संख्या 1 के बारे में वादीगण के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार सही है, तक आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 चाह के हिस्सा 1/72 ही अंकित राजस्व रिकार्ड जमबान्दी संवत 2073–76 में है तथा शेष कथन वादग्रस्त के बारे में स्वयं वादीगण सिद्ध करे।

बिंदु संख्या 2 के बारे में यह है कि वादीगण द्वारा कौन से आराजी खसरा नंबर में नक्शा दुरुस्ती चाहता है स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया जिसके रकबा बरारी की जा सके तथा वादीगण की खातेदारी भूमि के लगवा खसरा नंबर 751, 749, 783, 784 अन्य खातेदारों के नाम अंकित है। जिनको वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि के लगवा नही है अन्य खोदारों की भूमि ग्राम नांगलपूरण की मुख्य आबादी भूमि स्थित है जिसमें मकानात बने हुए है जिसमें जरीब चलाया जाना संभव नही है, तथा शेष कथन के बादी में वादीगण सिद्ध करे।

संख्या 3 के बारे में वादीगण के द्वारा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी की सीमा किस खसरा नंबर को गलत है या रकबा कम बैठता है

बिंदु संख्या 4 के संबंध में वादी गण स्वयं सिद्ध करें।

बिंदु संख्या 5 के संबंध में वादी गण स्वयं सिद्ध करें तथा कानूनी है।

बिंदु संख्या 6 7 8 9 कानूनी है

उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर का नक्शा दुरस्ती के बारे में स्पष्ट उल्लेख नही किया गया।

जवाब सरकार पेश होने व बिना रकबा बरारी के जवाब प्राप्त होने पर पुनः तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि की रकबा बरारी कर रिपोर्ट भिजावने हेतु लिखा गया तो तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि की रकबा बरारी कर रिपोर्ट इस प्रकार भिजवायी गयी कि :–

पुराना ख.न.	रकबा	रकबा बरारी से रकबा	नया खसरा नम्बर	रकबा	रकबा बरारी से रकबा
64	0.90	0.67	330,332	0.70,0.20	0.58,0.51
75	1.04	0.96	356	1.04	1.00
80	2.95	2.72	362,370,378	0.58, 2.14,0.23	0.52,1.97, 0.20
95	0.19	0.27	497,498	0.10,0.09	0.10,0.11
52	0.25	0.25	529,529 / 846	0.19,0.06	0.25,0.07
138	0.19	0.18	680	0.19	0.17
159 / 197	0.28	0.22	719	0.28	0.26
122	0.26	0.22	752,754	0.06,0.20	0.04,0.17
योग	6.06	5.49		6.06	5.59
120	0.04	0.015	750	0.04	0.0229

रकबा बरारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी की सुनी गई तो वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए मुताबिक रकबा बरारी रिपोर्ट को अनुसार राजस्व नक्शा दुरुस्त किया जाना जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसील से जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो वादी

गण व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि पास–पास की सीमाओं में स्थित है जिस कारण मौके पर नक्शा ट्रेस में गड़बड़ी होने के कारण आए दिन विवाद हो जबकि वादी गण अपनी पुरानी जगह पर ही पुराने नक्शे के अनुसार काबिज है नक्शे में वर्णित डाटेड लाइन जो पूर्व में घुमावदार थी को बिल्कुल सीधा कर दिया जिससे वादीगण के रकबे में रकबा बरारी रिपोर्ट अनुसार नक्शे में आडा टेडा कर नक्शे में घटा दिया जिससे वादीगण का नक्शा छोटा हो गया व वादीगण का रकबा बरारी अनुसार नक्शे के अनुसार कम बैठता है जबकि वादीगण राजस्व रिर्काड के अनुसार मौके पर काबिज पूरे रकबे पर है। इस एकीकरण द्वारा बनयाया गया वादीगण का नक्शा राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि के अनुसार नही बनाया जाकर छोटा बना दिया गया जिससे रकबा बरारी रिपोर्ट तहसील अनुसार दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 330, 332, 356, 362, 370, 378, 497, 498, 529, 529/846, 680, 719, 752, 754, किता 14 रकबा 6.06 व खसरा नम्बर 750 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम नांगलपूरण तहसील चाकसू को नक्शा को संलग्न रकबा बरारी रिपोर्ट तहसील में वर्णित रकबे के अनुसार दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, व इसी रकबा बरारी रिपोर्ट अनुसार नक्शे को दुरस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू